भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ,वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा – 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70
ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट:
www.nsez.gov.in

फा.सं.12/02/2014-Proj 10,021 दिनांक: ....../12/2025

23/12/2025

परिपत्र / Circular

सेवा में/ To:

एनएसईजेड में स्थित सभी इकाइयां - ईमेल के माध्यम से

विषय: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एपीआर जमा करने के संबंध में | Submission of APR for the period 2024-25 - reg.

एसईजेड नियम, 2006 के नियम 22 के उपनियम (3) और इकाई द्वारा फॉर्म एच में निष्पादित बांड-सह -विधिक वचनपत्र की शर्त संख्या 7 के अनुसार, उत्पादन या सेवा गतिविधियों के प्रारंभ होने के बाद , इकाई को एसईजेड नियम, 2006 के तहत फॉर्म I में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर विकास आयुक्त और निर्दिष्ट अधिकारी को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित और प्रत्येक पृष्ठ पर इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एपीआर) प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी जानकारी को गलत प्रस्तुत करने या निर्धारित समय के भीतर ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, अधिकृत संचालन करने के लिए दी गई अनुमति वापस ली जा सकती है और / या आगे के आयात और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की अनुमति रोकी जा सकती है।

2. यह भी सूचित किया जाता है कि वाणिज्य विभाग ने दिनांक 29.09.2025 के पत्र के माध्यम से , वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एपीआर दाखिल करने की नियत तिथि को 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 78 के अनुसार, उत्पादन शुरू होने के बाद, एनएसईजेड की प्रत्येक इकाई को एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपना एपीआर (वार्षिक रिपोर्ट रिपोर्ट) दाखिल करना आवश्यक है।

3. अत: आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (APR) (प्रत्येक पृष्ठ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एवं इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रति के साथ) दिनांक 31.12.2025 तक एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें, जिसमे विफल होने पर आपको अधिकृत संचालन करने के लिए दी गई अनुमति वापस ली जा सकती है और / या आगे के आयात और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की अनुमति रोकी जा सकती है।

Encl: As above

(किरण मोहन मोहाडीकर)
उप विकास आयुक्त